भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3204

दिनांक 13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

परिवारों को गोद लेना

3204. श्री रामप्रीत मंडल:

श्री गिरिधारी यादव:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर के सभी एमबीबीएस छात्रों को अपनी नामांकन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में पांच स्थानीय परिवारों को गोद लेने के लिए दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु आदेश जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त पहल के माध्यम से जनता को होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त पहल से चिकित्सा महाविद्यालयों के अभाव वाले स्थानों पर रहने वाले स्थानीय परिवारों को किस प्रकार सहायता मिलने की संभावना है;
(ग) क्या सरकार का इस पहल में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें कोई वृत्ति प्रदान करने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ख): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा तैयार योग्यता आधारित चिकित्सा शिक्षा (सीबीएमई) पाठ्यक्रम 2024 के लिए दिशानिर्देश में गांव की पहुंच के माध्यम से परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम (एफएपी) का प्रावधान है, जिसमें प्रत्येक छात्र न्यूनतम तीन (03) परिवारों और अधिमानतः कम से कम पांच (05) परिवारों को गोद लेगा।

सीबीएमई पाठ्यक्रम में उल्लिखित एफएपी परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी परिचर्या संसाधन, शिक्षा और सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी परिणाम बेहतर होते हैं और

जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। यह सामुदायिक जिम्मेदारी और सामाजिक कल्याण की भावना को भी बढ़ावा देता है। इन लाभों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. बेहतर स्वास्थ्य जागरूकता
2. स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक पहुंच
3. प्रारंभिक पहचान और रोकथाम
4. अनुवर्ती देखभाल
5. स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना
6. सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सहायता
7. सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम एकीकरण
8. स्वच्छता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य

(ग) और (घ): चूंकि, एफएपी अकादमिक पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, इसलिए छात्रों को वजीफा देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि, मेडिकल छात्रों के लिए वजीफे का भुगतान अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप विनियमों में बनाए रखा जाता है।

****